सरकारी विभागों के लिये सम्भरण तथा निपटान के महानिदेशक द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुएं

१०९०. **श्री गुरुदेव** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी विभागों के उपयोगार्थ कौन कौन सी वस्तुयें नई दिल्ली के संभरण तथा निपटान के महानिदेशक के द्वारा खरीदी जाती है;

(ख) १९६१–६२ के वित्तीय वर्ष में कितने कितने मूल्य की कौन कौन सी वस्तुयें खरीदी गयीं और वे किन किन से खरीदी गयीं;

(ग) उपरोक्त खरीद में से नेशनल स्माल स्केल कारपोरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत कितने स्माल स्केल यूनिटों से कितने कितने मूल्य की वस्तुयें खरीदी गयीं;

(घ) क्या उन सभी स्माल स्केल यूनिटों के, जिन्होंने १९६१–६२ में संभरण तथा निपटान के महानिदेशक से निवेदन किया था, सारे उत्पादन को महानिदेशक द्वारा खरीद लिया गया और यदि खरीद उत्पादन से कम की गई, तो इसका क्या कारण है; और

(ङ) कौन कौन सी वस्तुयें ऐसी हैं जिन के बारे में संभरण तथा निपटान के महानिदेशक ने निश्चय किया है कि वे स्माल स्केल यूनिटों से ही खरीदी जायेंगी ?

-j- [ARTICLES PURCHASED BY THE DIRECTOR GENERAL OF SUPPLIES AND DISPOSALS FOR GOVERNMENT DEPARTMENTS

1090. SHRI GURUDEV: Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state:

¯ f[ ] English translation.

(a) the names ol articles which are purchased by th$_e$ Director General of Supplies and Disposals, New Delhi for use by Government Departments;

(b) the value of such articles purchased, article-wise, during the financial year 1961-62 and the names of the parties from whom they were purchased;

(c) the number of small scale units which have been approved by the National Small Scale Corporation of India, New Delhi, together with the value of articles purchased from each of them out of the above purchase;

(d) whether the entire produce of all the small scale units who approached the Director General of Supplies and Disposals during the year 1961-62 was purchased by him and if lesser purchases were made, what is the reason therefor; and

(e) the names of the articles which have been reserved by the Director General of Supplies and Disposals for purchase from the small scale units only?]

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) सम्भरण तथा निपटान के महानिदेशक को विवरण १ में दी गई वस्तुओं के सिवाय सब वस्तुओं की खरीद करने का अधिकार है ।

(ख) १९६१–६२ में की गई खरीद का मूल्य :— यह जानकारी तुरन्त नहीं मिल सकती । यह संकलित की जा रही है और सम्भरण तथा निपटान के महानिदेशक के वार्षिक प्रकाशन "सरकारी खरीद की निदर्शिका (डायरेक्टरी ऑफ गवर्नमेंट परचेजिज़)" के अगले अंक में प्रकाशित कर दी जायेगी ।

जहां तक उन पक्षों (पार्टियों) का सम्बन्ध है, जिनसे चीजें खरीदी गयी हैं, २,००० रुपये या इससे अधिक मूल्य के आर्डरों

के बारे में जानकारी 'इंडियन ट्रेड जरनल' के साप्ताहिक अंकों से मिल सकती है ।

(ग) अब तक राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन) के यहां दर्ज हुए लघु स्तर उद्योगों (स्माल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स) की संख्या ६,४४३ है । अलग अलग प्रत्येक लघु स्तर उद्योग से खरीदी गई वस्तुओं के मूल्य के सम्बन्ध में जानकारी दे पाना सम्भव नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के आंकड़े रखे नहीं जाते ।

(घ) सब लघु स्तर उद्योगों द्वारा तैयार किये गये सारे माल को नहीं खरीदा जा सका, क्योंकि जितनी मांग हो, उतनी सीमा तक टेंडरों को स्वीकार करने के लिये निम्नलिखित बातों का उचित ध्यान रखते हुए विचार किया जाता है :

(१) कीमत में बचत और उचित मात्रा में कीमत की तरजीह (प्रैफ़ेंन्स) ।

(२) मांग किस ढंग की है और कितनी अविलम्बनीय (अर्जेन्ट) है ।

(३) उस औद्योगिक इकाई (यूनिट) की क्षमता और पहले का काम ।

(४) प्रस्तुत की जा रही वस्तुओं का उपयुक्त मानक (स्टैण्डर्ड) ।

(ङ) इन चीजों के नाम विवरण २ में दिये जा रहे हैं ।

विवरण १

१. उन वस्तुओं की सूची, जो सम्भरण तथा निपटान के महानिदेशालय की खरीद के क्षेत्र से बाहर हैं

१. खाद्य सामग्री और चारा ।

२. घातक सामान ।

३. लेखन सामग्री, छपाई का सामान, कार्यालयों की लेखन सामग्री और उपकरण, जो कि सार्वजनिक सेवा के लिये छपाई और लेखन सामग्री के सम्भरण सम्बन्धी नियमों के परिशिष्ट में दिये गये हैं ।

४. गणित सम्बन्धी, वैज्ञानिक और सर्वेक्षण करने के औजार और साधन, जो नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता से प्राप्त हो सकते हैं ।

५. भूसा, बुरादा, जलाने की लकड़ी और लकड़ी का कोयला ।

६. सड़क बनाने की ईंटें, संगमरमर और इसी प्रकार की भवन निर्माण सामग्री, चूना, रेत और खड़िया ।

७. टेलीफोन, तार और रेलगाड़ियों के नियंत्रण के उपकरण, जो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर की मार्फत प्राप्त हो सकते हैं ।

८. लकड़ी और बेंत से बना फर्नीचर ।

विवरण २

केवल लघु स्तर उद्योगों से खरीदने के लिए संरक्षित वस्तुएं

१. पीतल के ताले ।

२. जी. आई. ताले ।

३. पीतल के आर्द्रक (डैम्पर) ।

४. धातु के बने सन्दूक (सेना की आवश्यकताओं को छोड़ कर) ।

५. रोगन किये हुए नाम पट्ट (साइन बोर्ड) ।

६. धातु के बटन ।

७. डाक तोलने के कांटे ।

८. सब बिल्ले । कढ़ाई किये कपड़े के और धातु के (केवल असैनिक आवश्यकताओं के लिये) ।

९. चमड़े की पेटियां (परिधान) ।

१०. रोकड़ थैले ।

११. धूल से बचाने का चमड़ा ।

१२. चप्पलें और सैंडलें ।

१३. चमड़े के सन्दूक (सेना के प्रकार के नहीं) ।

१४. चमड़े के फीते ।

१५. चमड़े के थैले ।

१६. असैनिक इंडेटकर्ताओं द्वारा मांगे गये ढंग के बूट और जूते ।

१७. शीशे की नलियां (एम्पूल) ।

१८. लकड़ी और बांस के हत्थे ।

१९. कपड़े धोने का साबुन या लांड्री साबुन (केवल असैनिक इंडेंटों के लिये) ।

२०. धातु-पौलिश ।

२१. काटने की कैंचियां (मामूली कैंचियां) ।

२२. नारियल की जटा और नारियल की रस्सियां ।

२३. डाक की सीसे की मोहरें ।

२४. सूती मोजे, बनियानें आदि (केवल असैनिक इंडेंटों के लिये) ।

२५. ऊनी मोजे, बनियानें आदि (केवल असैनिक इंडेटों के लिये) ।

२६. लकड़ी की चाबियां (की) ।

२७. सिल और बट्टा ।

२८. सूती टोपियां (असैनिक इंडेंटकर्ताओं की आवश्यकताओं के लिये) ।

२९. मसहरियां (असैनिक इंडटकर्ताओं की आवश्यकताओं के लिये) ।

३०. सूती फीता (असैनिक इंडेन्टकर्ताओं की आवश्यकताओं के लिये) ।

३१. मरहम पट्टी का कपड़ा (असैनिक इंडेन्टकर्ताओं की आवश्यकताओं के लिये) ।

३२. पोशाकें (असैनिक इंडेंटकर्ताओं की आवश्यकताओं के लिये) ।

३३. सूती बत्तियां (विक) (असैनिक इंडेंटकर्ताओं की आवश्यकताओं के लिये) ।

३४. बनियान आदि का कपड़ा (स्टौकिनेट) (असैनिक इंडेंटकर्ताओं की आवश्यकताओं के लिये) ।

३५. सूती गूदड़ (रैग) (असैनिक इंडेंटकर्ताओं की आवश्यकताओं के लिये) ।

३६. लोहार की भट्ठी का तला (हर्थ)

३७. कुदाली ।

३८. बेंत की टोकरी ।

३९. लाठियां ।

४०. ऊनी टोपियां ।

४१. चमड़े की पेटियां और पट्टियां ।

४२. ठेलियां (ह्वील बैरो) ।

४३. त्रिपाल (असैनिक इंडेन्टकर्ताओं की आवश्यकताओं के लिये) ।

४४. बुरुश ।

४५. झाड़ ।

४६. इस्पात [illegible] ट्रंक (असैनिक इंडेंटकर्ताओं की आवश्यकताओं के लिये) ।

†[THE MINISTER OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI MEHR CHAND KHANNA): (a) The Director General of Supplies and Disposals is authorised to undertake purchase of

†[ ] English translation.

all articles except those mentioned in statement I.

(b) *Value of purchases during* 1961-62—This information is not readily available. This is being compiled and will be published in the next issue of the annual publication of the Director General of Supplies and Dis posals entitled 'Directory of Govern ment Purchases'.

As regards parties from whom the articles have been purchased, this information in respect of the orders of Rs. 2,000 and more in value is available from the weekly issues of the Indian Trade Journal.

(c) The number of Small Scale Industrial Units enlisted so far with the National Small Industries Corporation is 9,443. It is not possible to furnish the information as to the value of articles purchased from each individual Small Scale Industrial Unit as no such statistics are maintained.

(d) The entire produce of all small scale units could not be purchased as the tenders are considered for acceptance to the extent of the demands at ■hand having due regard to the following:—

(i) Economy in price and reasonable degree of price preference.

(ii) The nature and urgency of the demand.

(iii) The capacity and past per[j] formance of the unit.

(iv) Suitable standard of the articles offered.

(e) The names of the articles are furnished in Statement II.

STATEMENT I

List *of articles outside the scope of purcfwie of Director General of Supplies and Disposals*

1. Foodstuffs and forage.
2. Lethal Stores.
3. Stationery stores, printing stores, office stationery and appliances as detailed in Appendix to rules for the supply of printing and stationery stores for public service.
4. Mathematical, Scientific and Surveying Instruments and Appliances procurable from the National Istru-ments Ltd., Calcutta.
5. Straw, Saw Dust, Firewood and Charcoal.
6. Road Metal Bricks, Stone Marble and similar Building Materials, Lime, Sand and Chalk.
7. Telephone, telegraph and train control apparatus procurable through the Indian Telephone Industries Ltd., Bangalore.
8. Wooden and Cane furniture.

STATEMENT II

Items reserved by the Director General of Supplies and Disposals for purchase exclusively from the Small Scale Industries

1. Brass padlocks.
2. G. I. padlocks.
3. Brass dampers.
4. Boxes made of metal (excluding army requirements).
5. Sign Board Painted.
6. Buttons metal.
7. Postal weighing scales.
8. All badges, cloth embroidered and metals (civil requirements only).

9. Belt leather (apparel).

10. Cash Bags.

11. Dustshield leather.

12. Chappals and sandals.

13. Leather boxes (not army type).

14. Laces leather.

15. Leather bags.

16. Boots and shoes of types required by Civil Indentors.

17. Glass ampoules.

18. Handles wooden and Bamboo.

19. Soap washing or laundry soap {against civil indents only).

20. Metal polish.

21. Scissors cutting (ordinary scissors) .

22. Coir fibre and Coir yarn.

23. Postal lead seals.

24. Cotton Hosiery (against civil indents only).

25. Woollen Hosiery (against civil indents only).

26. Keys wooden.

27. Stone curry and Stone curry roller.

28. Caps cotton (against requirements of civil indentors).

29. Curtain mosquito (against requirements of civil indentors).

30. Wicks cotton (against requirements of civil indentors).

31. Bandage cloth (against requirements of civil indentors).

32. Garments (against requirements of civil indentors).

33 Wicks cotton (against requirements of civil indentors).

34. Stockinette (against requirements of civil indentors).

35. Rags cotton (against requirements of civil indentors).

36. Blacksmith hearth.

37. Kodali.

38. Basket cane.

39. Lathies. (s*

40. Caps woollen.

41. Belts leather and strips.

42. Wheel barrows.

43. Tarpaulin (against requirements of civil indentors).

44. Brushes.

45. Brooms.

46. Steel trunks (against requirements of civil indentors).]

ROCK SALT—MINED AND IMPORTED

1091. SHRI KRISHNA CHANDRA: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) the quantity of rock salt mined during 1961-62 in India, mine-wise;

(b) how it is distributed among consumers; and

(c) the quantity of rock salt imported from Pakistan during 1961-62?

THE MINISTER OF INDUSTRY IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI N. KANUNGO): (a) The quantity of rock salt mined during 1961 at Mandi, the only source of rock salt in India, is 153,000 maunds.